डॉ. (प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, की अध्यक्षता में दिनांक–29.08.2019 (बृहस्पतिवार) को नेतरहाट विद्यालय समिति कार्यालय–कक्ष, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 57वीं बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति :–** बैठक में उपस्थित/अनुपस्थित सदस्य यथास्थान अभिलिखित :

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	डॉ.(प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र।	सभापति	उपस्थित
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत – जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री अखिलेश वाजपेयी संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, (वित्त–विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, राँची।	सदस्य	अनुपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (पूर्व प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
6.	डॉ.(प्रो.) नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
7.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित
8.	श्री रवि रंजन, शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	विशेष आमंत्रित सदस्य	उपस्थित
9.	ले. कर्नल (से.नि.) बजरंग बिहारी सिंह, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय तथा सदस्य, सामान्य निकाय,	विशेष आमंत्रित सदस्य	उपस्थित

कृष्ण कुमार नाग
13.09.2019

	नेतरहाट विद्यालय समिति		
10.	श्री उपेन्द्र उपाध्याय, पूर्व शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय तथा सदस्य, सामान्य निकाय, नेतरहाट विद्यालय समिति	विशेष आमंत्रित सदस्य	उपस्थित

2. <u>कार्यसूची मद संख्या–01</u> :– विगत 56वीं बैठक दिनांक–25.06.2019 एवं 26.06.2019 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. <u>कार्यसूची मद संख्या–02</u> :– विगत 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा के कम में निम्नलिखित कार्यसूचियों के मदों पर समुचित अनुपालन कतिपय कारणों से पूरे नहीं हो पाए हैं, जिन्हें अवश्य अनुपालित कर दिए जाने हैं :–

(क) **कार्यसूची मद संख्या–06** (2) :– निर्णय लिया गया था कि...
"प्राचार्य सभी आश्रमाध्यक्षों तथा स्थानीय प्रबन्धन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाकर आश्रमों के बीच साफ–सफाई और अनुशासित जीवन के लिए पुरानी परम्परा को स्थापित करें।"
अनुपालन कॉलम में निर्देशानुसार तत्सम्बन्धी विषय पर मात्र *"एक उप समिति गठित की गई है"* लिख देने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती। बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि संलग्न कर, गठित समिति व इसकी कार्य–प्रणाली वर्णित किए जाने से अनुपालन की स्थिति स्पष्ट होगी।

इसी प्रकार पैरा (3) में शिक्षकों की एक समिति के गठन–सम्बधी कार्यवाही की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

(ख) कार्यसूची मद संख्या–10 :–जो *"विद्यालय की भू–खण्ड की पक्की चहारदीवारी और आंतरिक मार्ग बनाने के संदर्भ में विचार–विमर्श के कम में निर्णय लिया गया था"* के सम्बन्ध में था, उसका अनुपालन समुचित नहीं हो पाया है। इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने की निहायत जरूरत है ताकि विद्यालय की भू–खण्ड की पक्की चहारदीवारी और आंतरिक मार्ग यथाशीघ्र निर्मित हो और सुरक्षा के साथ–साथ अनुशासन सुदृढ़ हो।
इसी बीच सी.बी.एस.सी. से विद्यालय की सम्बद्धता पर त्वरित गति से कार्य करने की आवश्यकता प्राचार्य की व्यस्तता का एक कारण रहा। इस सम्बद्धता के सम्बन्ध में दिल्ली के नोबा बन्धुओं श्री बजरंग जी, श्री मनोज जी इत्याादि लोगों का बहुत सराहनीय सहयोग मिला।
श्री बजरंग जी, जो सी.बी.एस.सी. से विद्यालय की सम्बद्धता सहायता के लिए दो दिनों पहले से विद्यालय आए हुए थे और विद्यालय की 460 एकड़ भू–खण्ड सम्बन्धी कागजों से अवगत हो

कृष्ण कुमार नाग 13.09.2019

चुके थे, उन्होंने श्री विनोद कुमार कर्ण जी की अध्यक्षता में बनी उप–समिति को सहयोग करने मे अपनी सहमति दी।

(ग) **कार्यसूची मद संख्या–11:–** जो विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों और प्राचार्य की सर्वसम्मति से सेवा–सम्पुष्टि होने के बाद अनुपालित के सम्बन्ध में था, के सम्बन्ध में शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवा–सम्पुष्टि पत्र में कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित वरीयतम क्रम दर्शाते हुए ही प्रतिलिपि समर्पित कर निष्पादित करने पर सहमति मिली।

प्राचार्य की सेवा–सम्पुष्टि सम्बन्धी अधिसूचना सभापति ने पत्रांक : 33 दिनांक 10.09.2019 द्वारा निर्गत कर दी (प्रतिलिपि संलग्न)।

4. **कार्यसूची मद संख्या–03** :– विद्यालय में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर पंजी क्लीयरेंन्स की वर्तमान यथा स्थिति पर विचार–विमर्श के क्रम में सभापति ने सूचित किया कि इस गंभीर मामले पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को स्वयं भी पत्रांक :30 दिनांक 21.08.2019 भेज कर अविलम्ब कार्रवाई करने का अनुरोध किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई इस सम्बन्ध में टिप्पणी कि.... ***"विद्यालय में सम्प्रति शिक्षकों के कुल –16 पद रिक्त हैं, जबकि तृतीय वर्गीय कर्मियों के कुल–15 पद रिक्त हैं। शिक्षकों एवं कर्मियों के अभाव में विद्यालय संचालन में अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं; साथ ही शिक्षकों के अभाव में इसका सीधा असर छात्रों के पठप–पाठन पर भी पड़ रहा है।"*** बहुत ही गंभीर है और इसका त्वरित निराकरण करना कार्यकारिणी समिति का धर्म है।

अतः विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि शिक्षकों एवं कर्मियों के सभी रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु प्रारूप बनाकर सभापति को अविलम्ब प्रेषित करने के लिए प्राचार्य अधिकृत किए गए। नियमावली के अनुसार झारखण्ड राज्य सेवा के लिए अद्यतन आरक्षण के प्रावधान इन नियुक्तियों में लागू किए जायेंगे।

5. **कार्यसूची मद संख्या–04** :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय को गैर–योजनान्तर्गत सहायता अनुदान (वेतन एवं गैर–वेतन) मद में प्राप्त राशि के आन्तरिक विभाजन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में घटनोत्तर स्वीकृति लेने की नौबत नहीं आने दी जाय अर्थात् अनुदान (वेतन एवं गैर–वेतन) मद में प्राप्त राशि में से जो आन्तरिक विभाजन विद्यालय चाहता है उसकी जानकारी और सहमति कार्यकारिणी से पहले ही ली जाया करे।

6. **कार्यसूची मद संख्या–05** :– विद्यालय में रिक्त उपदेष्टा का पद एकल है। इस पद पर पूर्व में नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं दिनांक

रंजन कुमार नाग
13.09.2019

13.10.2017 को ही तीन माह के वेतन की राशि के समतुल्य राशि (दिनांक 06.11.2017 को देने और उनके द्वारा इसे प्राप्त कर लेने के बाद) देकर नियमावली के अनुसार समाप्त कर दी गई थीं।

अतः इस रिक्त पद पर भी विज्ञापन का प्रारूप शिक्षकों/कर्मियों के पदों के विज्ञापन के साथ निर्गत करने के लिए प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

7. **कार्यसूची मद संख्या–06** :– नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के प्रकाशन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार यथाशीघ्र प्राचार्य सभी 100 सीटों के लिए चयनित बालकों को रांची सदर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धी यथोचित कार्यवाई करें।

नये सत्र के बालकों के लिए आश्रम तैयार रहें, इसके लिए त्वरित गति से नव–निर्माण/ जीर्णोद्धार के कार्य हों, इस हेतु जो भी कार्यवाई आवश्यक हो, प्राचार्य अधिकृत किए गए।

8. **कार्यसूची मद संख्या–07** :– कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, लातेहार के स्तर से विद्यालय के लिए कराये जा रहे नव–निर्माण/ जीर्णोद्धार के कार्यो की वर्तमान स्थिति पर विचार–विमर्श और उनकी भौतिक स्थिति की जानकारी लेने के बाद सभापति सहित सभी सदस्य बहुत क्षुब्ध हुए। इस प्रकार धीमी गति से नव–निर्माण/ जीर्णोद्धार के कार्य होते रहेंगे तो विद्यालय का संचालन तनिक भी संतोष्रद नहीं रह सकेगा।

अतः निर्णय लिया गया कि इन सभी अधूरे और बिखरे–पड़े कार्यो की फोटो लेकर इस विभाग के उच्चतम अधिकारी को जानकारी यथाशीघ्र दे दी जाय कि इन कार्यो को सही ढ़ंग से सम्पादित करने के लिए क्या कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था, और इनकी गुणवत्ता को देखने व जांच करने की जिम्मेवारी किनकी है, और यह भी कि यदि नियत समय तक ये भवन सही रूप में बनकर हस्तगत नहीं करा दिए जाने की स्थिति हो तो क्यों नहीं कार्यकारिणी समिति इन कार्यो के असंतोष निराकरण हेतु राज्य सरकार से निगरानी जांच के लिए निवेदन करे ?

9. **कार्यसूची मद संख्या–08** :– प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर विचार–विमर्श के उपरान्त अधिमानता कम से प्रथम स्थान पर चयनित व्यक्ति श्री रौशन कुमार बक्शी (Shri Roshan Kumar Baxi) की नियुक्ति के लिए प्राचार्य अधिकृत किए गए।

कृष्ण कुमार नाग
13.09.2017

इससे सम्बन्धित संचिका रांची में अवस्थित समिति कार्यालय में ही थी, जिसे सभापति ने दिनांक 06.09.2019 को प्राचार्य को उचित कार्यवाई के लिए प्रेषित कर दिया था।

10. **कार्यसूची मद संख्या–09**:– श्री विंध्याचल पाण्डेय, पूर्व प्राचार्य सह वरीय सह–शिक्षक के आवेदनों पर विचार–विमर्श करने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि विद्यालय के अवकाश से खुलने के बाद नेतरहाट आने और कार्य–भार संभालने योग्य स्वास्थ्य, ईश्वर की कृपा से उन्हें प्राप्त हो गया और वे नेतरहाट परिवार में स्वस्थ हैं।

11. **कार्यसूची मद संख्या–09**:– स्थानीय प्रबन्धन समिति के पुनर्गठन के लिए प्राचार्य को अधिकृत किया गया कि वे वरीयता के आधार पर एक वर्ष के लिए नियमानुसार कार्य करें।

12. **कार्यसूची मद संख्या–10**:– निर्णय लिया गया कि विद्यालय में चिकित्सा पदाधिकारी के पद को विज्ञापित किया जाय।

13. **अन्यान्य** – सी.बी.एस.सी. से विद्यालय की सम्बद्धता पर त्वरित गति से कार्य करने में आवश्यक सहयोग और अपने अनुभवों से सहायता के लिए दो दिनों पहले से विद्यालय आए हुए श्री बजरंग जी, और सामान्य निकाय के माननीय सदस्य व इस विद्यालय के पूर्व सह–शिक्षक श्री उपेन्द्र उपाध्याय जी ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेकर कल दिनांक 30.08.2019 को सी.बी.एस.सी. से विद्यालय को सम्बद्धता हेतु आने वाली दो सदस्यीय कमिटि के स्वागत और विद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराने में सहयोग के लिए कार्यकमों पर विशेष पहल की।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

13.9.2019

(कृष्ण कुमार नाग)
सभापति
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।